न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 42/2025 तारीख रजू:– 22.07.2025

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

दिगम्बर आयु 44 साल पुत्र ज्वाला जाति जाट निवासी करई तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— प्रार्थी

बनाम

श्रीमान लैण्ड होल्डर/तहसीलदारजी तहसील हिण्डौन जिला करौली —— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थित :– 1. श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 06.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम बाबत दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 मे दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 12/01 रकवा 1.34 हैक्टेयर, किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 535/02 रकवा 0.10 हैक्टेयर, किस्म बारानी–2 कुल किता 2 कुल रकवा 1.44 है० बाके ग्राम करई, पटवार हल्का घोंसला, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज०) में स्थित है कि जिसका आवेदक 1/6 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नम्बर 01 प्रार्थना पत्र का 1/6 हिस्सा आवेदक को अपने पिता ज्वाला पुत्र कल्ला, से विरासत में प्राप्त हुआ है, इस प्रकार आवेदक उक्त वर्णित भूमि के 1/6 भाग का विरासत के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं. 3 मे दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 119 रकवा 0.13 है०, बांके ग्राम करई, पटवार हल्का घोंसला, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज०) में स्थित है कि जिसका आवेदक 5/39 भाग का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नम्बर 03 प्रार्थना पत्र का 5/39 हिस्सा आवेदक को अपने पिता ज्वाला पुत्र कल्ला से विरासत में प्राप्त हुआ है, इस प्रकार आवेदक उक्त वर्णित भूमि के 5/39 भाग का विरासत के आधार पर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि आराजीयात वर्णित मद नम्बर 1 व 03 प्रार्थनापत्र का विरासत का नामान्तकरण संख्या 370 दिनांक 30.06.2018, भूमि खाता संख्या 41. 120 का खुला है, जिसमें राजस्व कर्मचारियों की भूल व कदाचार के कारण दिगम्बर पुत्र ज्वाला के स्थान पर दिगम्बर पुत्री ज्वाला दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दिया है जबकि दिगम्बर पुत्र ज्वाला दर्ज करना चाहिये था।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि आवेदक के आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, बैंकपासबुक, भामाशाह कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में आवेदक का नाम दिगम्बर पुत्र ज्वाला दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि विरासत के नामान्तकरण में आवेदक का नाम दिगम्बर पुत्र ज्वाला के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिगम्बर पुत्री ज्वाला दर्ज कर दिये जाने से राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में आवेदक का नाम दिगम्बर पुत्री ज्वाला दर्ज हो गया है जो गलत है, दिगम्बर पुत्री ज्वाला नाम की कोई लडकी, ज्वाला के पैदा नहीं हुई है, और ना ही दिगम्बर नाम की कोई लडकी आवेदक के परिवार में है बल्कि आवेदक ही दिगम्बर पुत्र ज्वाला है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि भूमि वर्णित मद नम्बर 1 व 3 प्रार्थनापत्र की खातेदारी में आवेदक का नाम दिगम्बर पुत्री ज्वाला हिस्सा 1/6 व हिस्सा 5/39 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 है

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबकि दिगम्बर पुत्र ज्वाला हिस्सा 1/6 व 5/39 दर्ज होना चाहिये, जो काबिले दुरुस्ती है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि आवेदक ने अपने नाम का राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण कराने बाबत श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डौन को दिनांक 10.07.2025 को निवेदन किया, तो. तहसीलदार हिण्डौन ने कहा कि श्रीमान उपजिला कलेक्टर हिण्डौन से आदेश कराकर दिये जाने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्धिकरण की कार्यवाही की जा सकेगी, इसलिये आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि आवेदनपत्र हाजा, श्रीमान न्यायालय के काबिले समाअत है एवं निश्चित न्यायशुल्क पर अवधि में प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजीयात खसरा नम्बर 12/01 रकवा 1.34 हैक्टेयर, किस्म बारानी–2, खसरा नम्बर 535/02 रकवा 0.10 हैक्टेयर, किस्म बारानी–2 कुल किता 2 कुल रकवा 1.44 है०, व खसरा नम्बर 119 रकवा 0.13 है० बाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन जिला करौली के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में आवेदक के नाम में दिगम्बर पुत्री ज्वाला के स्थान पर दिगम्बर पुत्र ज्वाला हिस्सा 1/6 व 5/39 संशोधन कर रेवेन्यू रिकॉर्ड/जमाबंदी में संशोधित करने के श्रीमान तहसीलदार हिण्डौन को आदेश प्रदान करें एवं अन्य अनुतोष जो न्यायोचित हो, वह भी आवेदक को प्रदान किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 23.12.2025 को एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2072–76 किता 2, नकल नामान्तकरण सं0 370 दिनांक 30.06.2018, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 892576571532 दिगम्बर पुत्र ज्वाला निवासी करई तहसील हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जिला करौली राजस्थान, फोटो प्रति जन आधार कार्ड परिवार पहचान संख्या 4854345089 बबली पत्नि दिगम्बर निवासी मकान नं0 94 वार्ड नं08, हिण्डौन जिला करौली, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड बार कोड सं0 00764500290 बीपीएल सर्वे कमांक 6835576 दिगम्बर पुत्र ज्वालासिंह निवासी करई तहसील हिण्डौन जिला करौली पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2072–76 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 12/1 रकबा 1.34 है0, 535/2 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.44 है0 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन की खातेदारी दिगम्वर पुत्री ज्वाला हिस्सा 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–76 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 119 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन की खातेदारी दिगम्वर पुत्री ज्वाला हिस्सा 5/39 जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य व्यक्ति मुताविक जमाबन्दी खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल नामान्तकरण सं0 370 दिनांक 30.06.2018 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 12/1 रकबा 1.34 है0, 535/2 रकबा 0.10 है0, 119 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन में खातेदार ज्वाला पुत्र कल्ला जाति जाट के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण भरकर तस्दीक किया गया है जिसमें प्रार्थी को ज्वाला की पुत्री बताते हुए दिगम्वर पुत्री ज्वाला अंकित किया गया है। जबकि प्रार्थी ज्वाला का पुत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 892576571532 दिगम्बर पुत्र ज्वाला निवासी करई तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति जन आधार कार्ड परिवार पहचान संख्या 4854345089 बबली पत्नि दिगम्बर निवासी मकान नं0 94 वार्ड नं08, हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड बार कोड सं0 00764500290 बीपीएल सर्वे कमांक 6835576 दिगम्बर पुत्र ज्वालासिंह निवासी करई तहसील हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि नकल नामान्तकरण सं0 370 दिनांक 30.06.2018 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 12/1 रकबा 1.34 है0, 535/2 रकबा 0.10 है0, 119 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन में खातेदार ज्वाला पुत्र कल्ला जाति जाट के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण भरकर तस्दीक किया गया है जिसमें प्रार्थी को ज्वाला की पुत्री बताते हुए दिगम्वर पुत्री ज्वाला अंकित किया गया है। जबकि प्रार्थी ज्वाला का पुत्र है। उक्त विरासत के नामान्तकरण के आधार पर ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम दिगम्वर पुत्री ज्वाला दर्ज हो गया है। जिसकी प्रार्थी दुरूस्ती कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्व अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 12/1 रकबा 1.34 है0, 535/2 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.44 है0 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन में खातेदार दिगम्वर पुत्री ज्वाला हिस्सा 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार के स्थान पर दिगम्बर पुत्र ज्वाला हिस्सा 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा खसरा नम्बर 119 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम करई तहसील हिण्डौन में खातेदार दिगम्वर पुत्री ज्वाला

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हिस्सा 5/39 जाति जाट सा0 देह खातेदार के स्थान पर दिगम्बर पुत्र ज्वाला हिस्सा 5/39 जाति जाट सा0 देह खातेदार संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)
हिण्डौन जिला करौली